भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *5.
दिनांक 02.02.2021/ 13 माघ, 1942 (शक) को उत्तर के लिए

विदेशियों के विरुद्ध 'लुक आउट सर्कुलर'

*5. श्री गोपाल शेट्टीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों के लिये विगत तीन वर्षों के दौरान लुक आउट सर्कुलर/नोटिस (एलओसी) जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अप्रैल, 2020 में भी एलओसी जारी किए गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में और क्या कार्रवाई की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ड.): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

<u>लो.स.ता.प्र.सं. 05</u>

विदेशियों के विरूद्ध 'लुक आउट सर्कुलर' के बारे में दिनांक 02.02.2021 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 5* के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2020 तक की अवधि के दौरान विदेशियों के विरूद्ध 40,735 लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किए गए थे। इनमें से, 512 लुक आउट सर्कुलर, निर्धारित अवधि के बाद रूकने वाले विदेशियों के विरूद्ध जारी किए गए थे।

(ग) और (घ): विदेशियों के विरूद्ध 2627 लुक आउट सर्कुलर अप्रैल, 2020 माह में जारी किए गए थे।

(ड.): जिन विदेशी राष्ट्रिकों के विरूद्ध लुक आउट नोटिस जारी किए गए थे, उन्हें भारत से प्रस्थान होने के समय 'इमिग्रेशन चेक पोस्ट' पर पता लगने पर तब तक भारत से बाहर नहीं जाने दिया गया था, जब तक कि उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई पूरी नहीं की गई।

****